

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 3(20)चिस्वा/2/2022/राजकाज-07333

जयपुर, दिनांक:

डा0 पुरुषोत्तम सिंह,  
उप निदेशक,  
राजकीय चिकित्सालय, नागौर

विषय:—आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2023 को  
अस्वीकृत करने की सूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार  
आपके विरुद्ध सिलिकोसिस के गलत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रकरण में विभागीय  
जांच की कार्यवाही लम्बित होने के कारण आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र  
अस्वीकृत किया जाता है। अतः आपको दिनांक 01.09.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त  
दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

(निमिषा गुप्ता)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— निदेशक(जन स्वा),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर को प्रेषित कर लेख  
है कि कृपया अपने स्तर से भी संबंधित चिकित्सक को अवगत करावें।
- 2— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
- 3— प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, नागौर
- 4— रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

